



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5395

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26514 वर्ष 2025

प्रभु

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: ब्रिजेश कुमार पांडे, गिजेश कुमार, मृत्युंजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

इस मामले को पुनरीक्षित पुकार में सुना गया।

यह दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक 26.06.2024 से जेल में है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस जमानत याचिका के माध्यम से आवेदक ने पुलिस स्टेशन चाटा, जिला मथुरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 252/2024 में धारा 147, 148, 323, 302, 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

आवेदक की जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2024 को खारिज कर दी गई थी।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ग्रीजेश कुमार पांडे द्वारा दिए गए निम्नलिखित तर्क, जिनका विद्वान ए.जी.ए. श्री श्रवण कुमार दुबे द्वारा रिकॉर्ड से संतोषजनक खंडन नहीं किया जा सका, आवेदक को जमानत प्रदान करने के योग्य बनाते हैं:

1. आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जिसने पुलिस जांच में सहयोग किया और मुकदमे में शामिल हुआ।
2. आवेदक ने कभी भी गवाहों को प्रभावित नहीं किया और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की।
3. आवेदक ने मुकदमे की कार्यवाही में विलंबकारी रणनीति नहीं अपनाई और न ही उसमें बाधा डाली।
4. संयुक्त निदेशक (अभियोजन) द्वारा दायर हलफनामे में दर्ज है कि अभियोजन पक्ष आवेदक के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए 10 गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव करता है। सात अभियोजन गवाहों की जांच की जा चुकी है। तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले किसी भी अभियोजन गवाह ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य लगभग समाप्त होने वाला है और शीघ्र धारा 313 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी। कृपाण प्रक्रिया संहिता/रक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

5. आवेदक द्वारा उक्त महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

6. पुलिस जांच अभियोजन पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण थी, क्योंकि जांच की उन दिशाओं का पालन नहीं किया गया जो आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप थीं और आवेदक के पक्ष में दोषमुक्त करने वाले साक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं।

7. आवेदक समाज के हाशिए पर स्थित वर्ग से संबंध रखता है, और उसके मित्रों और परिवार दोनों ने ही उसे छोड़ दिया है। उसके पास कोई प्रभावी पैरोकार नहीं है जो अवर न्यायालय के समक्ष उसकी पैरवी कर सके। उसे अपनी प्रभावी पैरवी करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, और अवर न्यायालय के समक्ष पेशेवर तरीके से अपने मामले की पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करने की भी आवश्यकता है।

8. आवेदक को लगातार हिरासत में रखने से वह प्रभावी बचाव रणनीति बनाने में असमर्थ हो जाएगा और अपने समर्थन में सबूत जुटाने और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अवर न्यायालय के समक्ष पेश करने से भी वंचित हो जाएगा। आवेदक को हिरासत में रखना मुकदमे में उसके बचाव के लिए हानिकारक होगा और आपराधिक प्रक्रिया संबंधी न्यायशास्त्र में निष्पक्षता के मानदंडों के विपरीत होगा। वास्तव में, इन परिस्थितियों में आवेदक को हिरासत में रखना दंडात्मक प्रकृति का होगा। [संदर्भ: प्रभात गंगवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2586 वर्ष 2023), आशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक विविध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत आवेदन संख्या 13193 वर्ष 2025) और विकास कंजाड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19170 वर्ष 2025)]

9. आवेदक का इस मामले के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. आवेदक के भागने का कोई खतरा नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसने हमेशा जांच में सहयोग किया है और मुकदमे की कार्यवाही में भी सहयोग करने का वचन देता है। आवेदक द्वारा गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या दोबारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में और मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि बचाव पक्ष के संबंध में प्रस्तुतियाँ आरोपी और उसकी ओर से प्रस्तावित बचाव पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं, और इस आदेश द्वारा सीमित या प्रभावित नहीं हैं।

उपरोक्त मामले में, आवेदक प्रभु को निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानती की राशि इतनी ही हो, जो अवर न्यायालय को स्वीकार्य हो। न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें लागू की जाएं:

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी गवाह को प्रभावित करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

माननीय अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अरविंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग (धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 2613/2023) मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में उचित विचार-विमर्श के बाद जमानतदारों का निर्धारण करे। माननीय अवर न्यायालय यह सुनिश्चित करेगी कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक को दी गई जमानत का अधिकार जमानतदारों की मनमानी मांगों या आवेदक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से असंबंधित कठोर शर्तों द्वारा बाधित न हो।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि आवेदक मुकदमे में सहयोग नहीं करता है या विलंबकारी रणनीति अपनाता है, तो अवर न्यायालय इस संबंध में निर्णय दर्ज करेगी और इस न्यायालय का सहारा लिए बिना जमानत रद्द कर देगी।

08 जनवरी 2026

धनन्जय

(न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।